न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0– 149 R 15/08–09 एवं
167 R 15/08-09
सुरेश प्रजापति वगैरह
बनाम
राजधन उराँव

आदेश

12/07/10 ये अपील वाद एस0 ए0 आर0 वाद सं0–425/05–06 में पारित आदेश दिनांक–09.05.07 के विरूद्ध दायर किया गया है। अतः अपील वाद सं0–149 R 15/08–09 एवं 167 R 15/08–09 की संयुक्त सुनवाई की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि ग्राम–कमड़े के खाता सं0–92, प्लॉट सं0–261, रकबा–14 कट्ठा को इनके पूर्वजों द्वारा 1947 में सादा हुक्मनामा से प्राप्त किया है। भूमि प्राप्त करने के पश्चात् कच्चा मकान बना कर वे रह रहे थे। उनको मृत्यु के उपरान्त अपीलकर्त्ता उसमें निवास कर रहें है। इनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय में पैरवीकार के द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप भूमि को वापस करने का आदेश पारित कर दिया गया। ये उक्त भूमि पर 30 वर्षो से अधिक समय से निवास कर रहें है। अतः इन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। निम्न न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाय।

प्रतिवादी के द्वारा लिखित बहस दायर नहीं किया गया है। इनका न्यायालय मे उपस्थित होकर कहना है कि अन्तरण सादा हुक्मनामा के द्वारा किया गया है। प्रश्नगत् भूमि पर घर बना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि खतियान में बकास्त भूईहरी महतोई इन्द्राज है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सादा हुक्मनामा के आधार अन्तरण बतलाया गया है, जिसे किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दी जा सकती है। 30 वर्षो से अधिक समय से भूमि पर निवास संबंधी कोई प्रमाण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विपक्षियों द्वारा दखल छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के विपरीत है। निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता
राँची

अपर समाहर्त्ता
राँची

12/07/10

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:26:41 +05:30
Location: 192.168.2.175